



Neutral Citation No. – 2026:AHC:174895

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-29193 वर्ष 2026

सर्तेन्द्र कुमार

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता:

राकेश कुमार यादव

विपक्षीगण के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक की ओर से आज दाखिल पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार यादव के ब्रीफ होल्डर श्री सिद्धार्थ मिश्रा, अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान प्रार्थना पत्र, अवर न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने की अवधि में, मुकदमा अपराध संख्या-39 सन् 2026, धारा 103(1) भा.न्या.सं., थाना एक्सप्रेस-वे, जनपद गौतम बुद्ध नगर के अधीन आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनादाता के पुत्र की हत्या के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी, परंतु अन्वेषण के दौरान आवेदक, जो मृतक का पुत्र है, को इस आरोप के साथ वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया कि पुत्र और पिता के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे, इसलिए उसने उसकी हत्या की, परंतु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः झूठे हैं।
5. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस के समक्ष आवेदक के संदेह तथा स्वीकारोक्ति बयान के अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष के अनुसार जब आवेदक को गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से एक लोहे की पिन बरामद की गई जिसका उपयोग उसने कथित अपराध के कमीशन में किया था।
6. उन्होंने आगे कहा कि उपर्युक्त साक्ष्य के अतिरिक्त, अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।
7. उन्होंने आगे कहा कि केवल उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर, प्रथम दृष्टया, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने अपने पिता की हत्या की।
8. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में 6.3.2026 से जेल में है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. दूसरी ओर, विद्वान अ.शा.अधि. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्कों से इनकार नहीं कर सके।
10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।
11. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और यह परिलक्षित होता है कि अन्वेषण के दौरान संदेह के आधार पर आवेदक, जो मृतक का पुत्र था, को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
12. अभिलेख से यह भी संकेत मिलता है कि पुलिस के समक्ष आवेदक के संदेह तथा स्वीकारोक्ति बयान के अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष के अनुसार जब आवेदक को गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से एक लोहे की पिन बरामद की गई जिसका कथित रूप से उसने कथित अपराध के कमीशन में उपयोग किया था, परंतु इस न्यायालय के विचार में, केवल उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की, जो यद्यपि उसका पिता था।
13. इसके अलावा, विद्वान अ.शा.अधि. उपर्युक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त इस न्यायालय के समक्ष कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके।
14. इसके अलावा, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में 6.3.2026 से जे में है।
15. अतः, मामले के उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
16. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17. आवेदक-सतेंद्र कुमार को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बॉन्ड तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथियों पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित किया जा सके या साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा सके।
- (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

18. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल करने हेतु स्वतंत्र होगा।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण की अवधि में मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

19 अगस्त, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अंकिता

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”